Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 अक्टूबर, शुक्रवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा देहात इकाई द्वारा आज बूंदी में कार्यवाही करते हुये देवेन्द्र दीक्षित, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना तालेड़ा जिला बूंदी को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध थाना तालेड़ा पर दर्ज प्रकरण में परिवादी से लिखित समझोता होने के बाद भी चालान पेश करने का ड़र दिखाकर अनुसंधान अधिकारी देवेन्द्र दीक्षित, सहायक उप निरीक्षक द्वारा **40 हजार** रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन तथा एसीबी कोटा देहात की अति0 पुलिस अधीक्षक **श्रीमति प्रेरणा शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा आज तालेड़ा बूंदी में ट्रेप कार्यवाही करते हुए देवेन्द्र दीक्षित पुत्र रूपनारायण निवासी मकान नं. 96 मालवीय नगर बूंदी, हाल मकान नं. 21 भारत नगर बूंदी। हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना तालेड़ा जिला बूंदी परिवादी से **20 रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।